

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म0प्र0)  
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दां0प्र0क0-152 / 14  
संस्था0दि0 05 / 03 / 2014  
फाईल नं.233504002712014

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,  
 आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियोजन.

-: विरुद्ध :-

बिहारी पिता मनसु उईके, उम्र 47 वर्ष,  
 जाति गोंड, पेशा मजदूरी, नि0 रतेड़ा कला,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियुक्त.

-: निर्णय :-

(आज दिनांक-03 / 11 / 2016 को घोषित)

01- अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा-336 के अंतर्गत अभियोग है कि दिनांक 20 / 02 / 14 को 08:00 बजे रात्रि थाना आमला जिला बैतूल म.प्र. अंतर्गत फरियादी को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से पत्थर फेंककर मानव जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया।

02- दिनांक 03 / 11 / 16 को फरियादी सुनियाबाई तथा अभियुक्त बिहारी का राजीनामा होने से धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2 में दोषमुक्त किया गया।

03- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20 / 02 / 14 को रात्रि 8 बजे उसके घर पर थी, कि उतने में उसके गांव का बिहारी पिता मनसु गोंड नि0 रतेड़ा का आया और माँ बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देने लगा और उसने घर से बाहर निकलकर बिहारी को गाली देने से मना किया तो बिहारी पुरानी बात को लेकर वही पड़े पत्थर से मारपीट करने लगा, पत्थर फेंककर मारा जो पीट पर पसली पर लगकर चोट आई है एवं हाथ मुक्के से भी मारपीट किया, वह चिल्लाई तो पड़ोस के रूखमणी पिता बल्लू गौली एवं अरुणा गौली आये, उन्होंने बीच बचाव कर बिहारी को अलग किया, उन्होंने घटना देखी सुनी है। बिहारी जाते-जाते बोल रहा था कि आज तो बच गई दोबारा जिन्दा नहीं

छोडुगां कि धमकी दे रहा था।

04— प्रथम सुचना रिपोर्ट प्र0पी0-1 है। अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 164/14 के अंतर्गत अपराध कायम कर भा0दं0वि0 की धारा 294,323,336,506 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 21/02/14 को घटना का नक्शा मौका प्र0पी0-2 बनाया गया, दिनांक 25/02/14 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक तैयार किया गया। फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

05— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में सामान्य परीक्षा में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

06— **न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:-**

“आपने दिनांक 20/02/14 को 08:00 बजे रात्रि थाना आमला जिला बैतूल म.प्र. अंतर्गत फरियादी को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से पत्थर फेंककर मानव जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया?”

**—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-**

**—: विचारणीय प्रश्न क्रं. 01 का निराकरण**

07— अभियोजन साक्षी सुनियाबाई (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह उसके घर पर थी उसी समय आरोपी बिहारी आया और माँ बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देने लगा घर से बाहर निकलकर बिहारी को गाली देने से मना किया तो बिहारी पुरानी बात को लेकर गाली देने लगा और उसे हाथ मुक्कों से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिया जिसकी रिपोर्ट उसने थाना आमला में की थी जो प्र0पी0 1 है। पुलिस घटना स्थल पर आई थी और घटना नक्शा मौका प्र0पी0 2 बनाया था। शासन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि उसने प्र0पी0 1 की रिपोर्ट में पुलिस को यह बताया था कि वही पड़े पत्थर से .....आई है। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि प्र0पी0 3 के अ से अ भाग वही पड़े

पत्थर ..... चोट आई है, के कथन उसने पुलिस को दिया था। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी से उसका बिना किसी डर दबाव के आज दिनांक को राजीनामा हो गया है। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि आरोपी से उसका राजीनामा हो जाने के कारण वह न्यायालय में झूठे कथन कर रही है।

08— आगे इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसे पत्थर फेंककर नहीं मारा। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में यह नहीं बताया है कि फरियादी को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से पत्थर फेंककर मानव जीवन या वैयक्ति क्षेम संकटापन्न किया। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा0दं0वि0 की धारा 336 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

09— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से पत्थर फेंककर मानव जीवन या वैयक्ति क्षेम संकटापन्न किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

10— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से पत्थर फेंककर मानव जीवन या वैयक्ति क्षेम संकटापन्न किया। इस प्रकार अभियुक्त बिहारी को भा0द0वि0 की धारा-336 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11— अभियुक्त के धारा-313 द0प्र0स0 के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

12— प्रकरण में जप्त सम्पत्ति एक पत्थर मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म0प्र0